प्राक्कथन

'रोटी' और 'कपड़ा' के बाद 'आवास' मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। आवास की कमी मानवीय स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण तथा प्रदेश एवं देश की अर्थव्यवस्था की सामान्य कार्यपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, अतएव 'अफोर्डेबल' एवं समुचित आवास की उपलब्धता न केवल जीवन की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है, बल्कि आर्थिक निवेश के रूप में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश सरकार इस बारे में जागरूक है कि समाज के समस्त आय वर्गों को आर्थिक क्षमतानुसार आवास की उपलब्धता जनकल्याण में सुधार तथा राज्य एवं राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए सर्वोपरि है। यद्यपि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के परिवारों को अफोर्डेबेल हाउसिंग मुहैया कराने हेतु समय–समय पर कई नीतियां निर्धारित की गई हैं और योजनाएं भी संचालित की गई हैं, परन्तु समाज के निम्न–मध्यम एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों की आवासीय समस्या के समाधान हेतु अभी अलग से कोई नीति निर्धारित नहीं है।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि में 24 लाख आवासीय इकाईयों की मांग अनुमानित की गई है, जिसमें से 30 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग तथा लगभग 60 प्रतिशत इकाईयों की मांग अल्प एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों की है। सरकार के सीमित संसाधनों से उक्त मांग को पूर्ण करना सम्भव नहीं है। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रदेश में आवासीय समस्या के समाधान हेतु राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति–2014 घोषित की गई है, जिसके क्रम में समाज के निम्न–मध्यम एवं मध्यम आय वर्ग को रू. 15 से 30 लाख की लागत के अन्तर्गत आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नीति का निर्धारण करते हुए उसके अधीन समाजवादी आवास योजना के संचालन का निर्णय लिया गया है।

मुझे विश्वास है कि इस योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र को दी जा रही विभिन्न रियायतों/ इन्सेन्टिव के फलस्वरूप जहां एक ओर निम्न–मध्यम एवं मध्यम आय वर्ग के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्टॉक की आपूर्ति में वृद्धि होगी वहां दूसरी ओर मलिन बस्तियों एवं अनाधिकृत कालोनियों के निर्माण पर भी नियन्त्रण लगेगा। मैं आशा करता हूं कि शासकीय अभिकरणों द्वारा निजी विकासकर्ताओं के साथ समुचित सहयोग एवं समन्वय स्थापित करते हुए इस योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

मैं समाजवादी आवास योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु शुभकामनाएं देता हूं।

दिनांकः जनवरी, 2015

(अखिलेश यादव)
मुख्यमन्त्री,
उत्तर प्रदेश सरकार